Serial No. 119/2014

Eastern Railway

No. E.240/0/Vol. VIII

Kolkata, Dated 10.10.2014

ALL CONCERNED

Sub:- The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 – Submission of declarations and assets and liabilities by the Railway Servants.

*****

The following copy of Railway Board's letter No. E(D&A) 2014 GS 1-2 dated 01.09.2014 was circulated by Board under RBE No. 44/2014. The said RBE No. has been corrected vide Board's corrigendum letter of even number dated 15.09.2014 and the same may be read as **RBE No. 94/2014.** Railway Board's letter is appended for information, guidance and necessary action. Hindi version is also enclosed.

DA: As stated.

10.10.14

(S. Ganguly)
Asstt. Personnel Officer/R & Bills
for Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. E(D&A) 2014 GS 1-2 dated 01.09.2014 (RBE No. 94/2014) addressed to General Managers, All Indian Railways and others.

Sub:- The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 – Submission of declarations and assets and liabilities by the Railway Servants.

*****

A copy of the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, notified by Department of Personnel & Training vide Gazette notification G.S.R. No. 501(E) dated 14.07.2014, which are applicable to all Railway servants, is enclosed herewith for information and necessary action.

===

Index No. 1020: Submission of declarations and assets and liabilities by the Railway servants vide forms specified by Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014 and notified by DoPT.

****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर बी सं ५५ /2014

सं ई(डी एंड ए) 2014 जी एस 1-2 नयी दिल्ली, दिनांक 01.09.2014

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाईयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 – रेल सेवकों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा

अधिसूचना स. का. नि. 501 (अ) दिनांक 14.07.2014 द्वारा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणीयां फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014, जो कि रेल सेवकों पर लागू है, की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक: यथोक्त

शैलेन्द्र मोदी

(शैलेन्द्र मोदी)
उप. निदशक स्था. (अनु. एवं अपील)
रेलवे बोर्ड

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2014/ आषाढ़ 23, 1936
No. 363] NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2014/ASADHA 23, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 501(अ).—केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 तथा धारा 45 के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सेवकों द्वारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा अंतर्विष्ट करने वाली सूचना और वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने का उपबंध करने के लिए और उन आस्तियों जिन्हें सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 45 के अधीन लोक सेवक द्वारा ऐसी सूचना देने से छूट दे सके, के न्यूनतम मूल्य का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "अधिनियम" से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) अभिप्रेत हैं ;

(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों के परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(ग) "वार्षिक विवरणी" से धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन लोक सेवक द्वारा फाइल की जाने वाली वार्षिक विवरणी अभिप्रेत है ;

(घ) "घोषणा" से धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन लोक सेवक द्वारा की गई आस्तियों और दायित्वों की घोषणा अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्ररुप" से परिशिष्ट - 2 में विनिर्दिष्ट कोई प्ररुप अभिप्रेत है ;

(च) "सूचना" से धारा 44 की उपधारा (3) के अधीन लोक सेवक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित सूचना अभिप्रेत है ;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

3. सूचना और वार्षिक विवरणी देने की रीति — (1) प्रत्येक लोक सेवक, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित सूचना और परिशिष्ट-2 में विनिर्दिष्ट प्ररुप 1 से प्ररुप 4 में धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन वार्षिक विवरणी के साथ परिशिष्ट 1 में विनिर्दिष्ट रूपविधान में धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेगा ।

(2) प्रत्येक लोक सेवक, उस वर्ष की 31 जुलाई को या उसके पूर्व धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान अपनी आस्तियों और दायित्वों के विषय में यथास्थिति, घोषणा, सूचना या विवरणी फाइल करेगा :

परंतु वे लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवकों को लागू नियमों के उपबंधों के अधीन संपत्ति की घोषणाएं, सूचना और वार्षिक विवरणियां फाइल कर चुके हैं, 15 सितंबर, 2014 को या उसके पूर्व सक्षम प्राधिकारी को 1 अगस्त, 2014 को यथा विद्यमान यथास्थिति, पुनरीक्षित घोषणाएं, सूचना वार्षिक विवरणी फाइल करेंगे।

4. उन आस्तियों का न्यूनतम मूल्य जिन्हें सक्षम प्राधिकारी सूचना देने से छूट दे सकेगा -- उन कारणों के लिए जो सक्षम प्राधिकारी किसी आस्ति की बाबत सूचना फाइल करने से किसी लोक सेवक को धारा 45 के परंतुक के अनुसार तब छूट दे सकेगा यदि ऐसी आस्ति का मूल्य लोक सेवक के चार मास के मूल वेतन या दो लाख रुपये, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं है ।

परिशिष्ट - 1

[नियम 3(1) देखिए]

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....*को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी

(लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन)

1. लोक सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

2. (क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति ....(पदनाम, नाम और संगठन का पता)

(ख) किस सेवा से संबंधित है (यदि लागू है)

<u>घोषणा --</u>

यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपबंधों के अधीन, मेरे द्वारा, प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्ररुप 1 से प्ररुप 4 मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है ।

तारीख..........................

हस्ताक्षर...

..

*पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति की तारीख उपदर्शित करें ।

....

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसके स्वयं के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम लोक सेवक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी । विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(2) में यथाउपबंधित पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों की बाबत ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(धारा 44(2) लोक सेवक उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को—

(क) उन आस्तियों के संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही हैं ;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के संबंध में,

सूचना देगा ।

टिप्पण 2. यदि कोई लोक सेवक, या तो "कर्ता" या किसी सदस्य के रूप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों के साथ हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है तो उसे ऐसे संपत्ति में अपने भाग का मूल्य प्ररुप सं. 3 की विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां ऐसे भाग का ठीक मूल्य उपदर्शित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उपदर्शित हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकेगा, जहां कहीं आवश्यकता हो ।

टिप्पण 3. "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोकसेवक पर आश्रित हैं । (नीचे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण ।

परिशिष्ट - 2

[नियम 3 (1) दखिए]

प्ररुप संख्या 1

लोकसवक, उसक□ पति या पत्नी और आश्रित बालकों क□ ब्यौर□

क्रम संख्या		नाम	धारित लोक स्थिति यदि कोई हो	क्या विवरणी, उसक द्वारा पृथक रुप स□फाइल की जाती है
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित - 1			
4	आश्रित -2			
5*	आश्रित - 3			

*और पंक्ति जोड़□ यदि आवश्यक हैं

तारीख .... हस्ताक्षर..............................

प्ररुप संख्या 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.......................को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण

स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बालकों की जंगम संपत्ति क□ ब्यौर□

क्रम संख्या	वर्णन		रकम रुपय में				
			स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित 1	आश्रित 2	आश्रित 3
(i)	हाथ में नकदी						
(ii)	बैंक खातों में जमा क ब्यौर□ (एफ डी आर, निक्षपों की अवधि, बचत खातों सहित जमा क□ सभी अन्य प्रकार), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्त कंपनियों	बैंक/वित्त संस्थाओं क□ नाम और जमा की प्रकृति					

	और सहकारी सोसाइटियों में जमा और प्रत्यक्ष ऐसे जमा में रकम						
(iii)	बंधपत्रों, डिबेंचरों, शेयरों में विनिधान के ब्यौरे और कंपनियों/ पारस्परिक निधियों में यूनिटें और अन्य	कंपनी का नाम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और किसी डाकघर या बीमा कंपनी में किसी वित्त लिखतों में विनिधान	विनिधान का नाम					
(v)	भविष्य निधि/नई पेंशन स्कीम में जमा के ब्यौरे	विनिधान का नाम					
(vi)	वैयक्तिक उधार/किसी व्यक्ति को दिया गया अग्रिम या अस्तित्व जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि सम्मिलित हैं और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम (जो अधिक है (क) दो मास का मूल वेतन, जहां लागू हैं, (ख) अन्य मामलों में एक लाख रुपये)	ऋणी का नाम					
(vii)	मोटरयानों/वायुयानों/क्रीड़ा नौकाओं/पोत (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि, क्रय का वर्ष और रकम के ब्यौरे)	यान की प्रकृति, रजिस्ट्रीकरण की संख्या और क्रय का वर्ष					

(viii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(एं) (भार का ब्यौरा दें)	सोना						
		चांदी						
		बहुमूल्य रत्न/बहुमूल्य धातु						
	***	स्वर्ण						
		चांदी						
	बुलियन	बहुमूल्य रत्न/बहुमूल्य धातु						
(ix)	कोई अन्य अस्तियां							

तारीख............................ हस्ताक्षर..................

टिप्पण 1 -- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों को भी दिया जाना होगा ।

टिप्पण 2 - निक्षेपों/विनिधानों की दशा में, रकम, निक्षेप की तारीख स्कीम, बैंक का नाम/संस्था और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाएं ।

टिप्पण 3 -- सूचीबद्ध कंपनियों और गैर सूचीबद्ध फर्मों के मामले में बहियों की मूल की बाबत स्टाक एक्सचेंज में चालू बाजार मूल्य के अनुसार बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य ।

टिप्पण 4 -- प्रत्येक विनिधान की बाबत रकम में सम्मिलित ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएं ।

टिप्पण 5 -- ऊपर (i) से (viii) के अंतर्गत नहीं आने वाले (ix) के अधीन व्यष्टिक रूप से दो मास से अधिक के मूल वेतन (जहां लागू हों) या 1.00 लाख रुपये से अधिक मूल्य की जंगम आस्तियों के ब्यौरे को उपदर्शित किया जाए ।

प्ररुप सं. 3

<u>पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20......................को यथाविद्यमान स्थावर संपत्ति का विवरण</u>

(लोक सेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों द्वारा धारित)

क्रम संख्या	संपत्ति का वर्णन, (भूमि/गृह/ फ्लैट/दुकान/ औद्योगिक आदि)	सुनिश्चित अवस्थिति का सार (जिला, प्रभाग, ताल्लुक और उस ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति अवस्थिति है और इसकी सुभिन्न संख्या आदि	भूमि का क्षेत्र (भूमि और भवनों के मामलों में)	भूमि संपत्ति के मामले में भूमि की प्रकृति	हित का विस्तार	यदि लोक सेवक के नाम नहीं है तो किसके नाम धारित है, उल्लेख करें और उससे लोक सेवक की नातेदारी, यदि कोई	अर्जन की तारीख	कैसे अर्जित की गई (क्या क्रय, बंधक, पट्टे, विरासत, दान या अन्यथा द्वारा है) और उस व्यक्ति/ व्यक्तियों के ब्यौरे सहित नाम जिनसे अर्जित की गई है (पता और संबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों का सरकारी सेवक से संबंध, यदि कोई है) कृपया नीचे टिप्पण 1 देखें और अर्जन की लागत	संपत्ति का वर्तमान मूल्य (यदि ठीक मूल्य ज्ञात न हो तो लगभग मूल्य उपदर्शित किया जाए)	संपत्ति से कुल वार्षिक आय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

तारीख.................... हस्ताक्षर.................

टिप्पण -- 1. स्तंभ 9 के प्रयोजन के लिए, पट्टा "पद" से वर्ष दर वर्ष से किसी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराए के लिए आरक्षित अवधि के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा अभिप्रेत होगा तथापि जहां स्थावर संपत्ति का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्य होता है जिसका सरकारी सेवक के साथ शासकीय संबंध है, ऐसे पट्टे की अवधि को चाहे यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो और किराए के संदाय की कालिकता पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए ।

प्ररुप सं. 4

<u>पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20......................को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण</u>

क्रम संख्यांक	ऋणी (स्वयं/ पति या पत्नी या आश्रित बालक)	रकम	लेनदार का नाम और पता	उपगत दायित्व की तारीख	संव्यवहार के ब्यौरे	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

तारीख.................... हस्ताक्षर..

टिप्पण 1— उधारों की व्यष्टिक मदें जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं हैं (जहां लागू हों) और अन्य मामलों में 1.00 लाख रुपये है, सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं है ।

टिप्पण 2— विवरण में वाहन के क्रय, गृह निर्माण अग्रिम आदि (वेतन और यात्रा भत्ते के अग्रिमों से भिन्न), भविष्य निधि से अग्रिम और उससे उधार, के लिए अग्रिम जैसे नियोजक से उपलब्ध विभिन्न उधारों और अग्रिम (टिप्पण 1 में दिए गए मूल्य से अधिक) जीवन बीमा पालिसियों तथा सावधि जमाओं पर उधार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV (ख)]

पी. के. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2014.

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of section 59 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), read with section 44 and section 45 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to provide for furnishing of information and annual return containing declaration of assets and liabilities by public servants and to provide for minimum value of the assets which the competent authority may exempt from furnishing such information by a public servant under section 45 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014);

(b) "Appendix" means an Appendix to these Rules;

(c) "annual return" means the annual return to be filed by a public servant under sub-section (4) of section 44;

(d) "declaration" means the declaration of assets and liabilities made by a public servant under sub-section (1) of section 44;

(e) "Form" means a Form specified in Appendix-II;

(f) "information" means the information required to be furnished by a public servant under sub-section (3) of section 44;

(g) "section" means the section of the Act.

3. Manner of submission of information and annual return.— (1) Every public servant shall make a declaration of his assets and liabilities under sub-section (1) of section 44 in the format specified in Appendix-I, along with the information required under sub-section (2), or as the case may be, sub-section (3), and the annual return under sub-section (4) of section 44 in Forms I to IV specified in Appendix-II.

(2) Every public servant shall file declaration, information or return, as the case may be, regarding his assets and liabilities as on the 31st day of March every year, to the competent authority as referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 2, on or before the 31st day of July of that year:

Provided that the public servants who have filed declarations, information and annual returns of property under the provisions of the rules applicable to such public servants shall file the revised declarations, information or as the case may be, annual returns as on the 1st day of August, 2014, to the competent authority on or before the 15th day of September, 2014.

4. Minimum value of assets which competent authority may exempt from furnishing of information.— The competent authority may, for reasons to be recorded in writing, exempt in accordance with the proviso to section 45, a public servant from filing the information in respect of any asset, if the value of such asset does not exceed four months basic pay of the public servant or rupees two lakhs, whichever is higher.

APPENDIX-I
[Rule 3(1)]

Return of Assets and Liabilities on First Appointment or as on the 31st March, 20…...*
(Under Sec 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.)

1. Name of the Public servant in full…………………………………………
(in block letters)

2. (a) Present public position held ……………………………………………
(Designation, name and address ……………………………………………
of organisation) ……………………………………………

(b) Service to which belongs ……………………………………………
(if applicable)

Declaration:

I hereby declare that the return enclosed namely, Forms I to IV are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief, in respect of information due to be furnished by me under the provisions of section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

Date…………………. Signature…………………………

* In case of first appointment please indicate date of appointment.

Note 1. This return shall contain particulars of all assets and liabilities of the public servant either in his/her own name or in the name of any other person. The return should include details in respect of assets/liabilities of spouse and dependent children as provided in Section 44 (2) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.
(Section 44(2):A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes an oath or affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to—
(*a*) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries;
(*b*) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.)

Note 2. If a public servant is a member of Hindu Undivided Family with co-parcenary rights in the properties of the family either as a 'Karta' or as a member, he should indicate in the return in Form No. III the value of his share in such property and where it is not possible to indicate the exact value of such share, its approximate value. Suitable explanatory notes may be added wherever necessary.
Note 3. "dependent children" means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood. *(Explanation below Section 44(3) of* Lokpal and Lokayuktas Act, 2013).

APPENDIX-II
[Rule 3(1)]

FORM No. I

Details of Public Servant, his/ her spouse and dependent children

SL No.		Name	Public Position held, if any	Whether return being filed by him/her, separately
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5.*	Dependent-3			

* Add more rows, if necessary.

Date………………….. Signature………………...

FORM No. II

Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20…

Details of the movable assets of self, spouse and dependent children:

Sl. No.	Description		Amount in Rupees				
			Self	Spouse	Dependent 1	Dependent 2	Dependent 3
(i)	Cash in hand						
(ii)	Details of deposit in Bank accounts (FDRs, Term Deposits and all other types of deposits including saving accounts), Deposits with financial Institutions, Non-Banking financial Companies and Cooperative societies and the amount in each such deposit	Name of Bank/ Financial Institutions. & Nature of Deposit					
(iii)	Details of investment in Bonds, debentures / shares and units in companies/mutual funds and others	Name of company					
(iv)	Details of investment in NSS, Postal Saving, Insurance policies and investment in any Financial instruments in Post office or Insurance Company	Nature of investment					

(v)	Detail of deposit in Provident Fund/ New Pension Scheme	Nature of Investment					
(vi)	Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, Trust etc. and other receivables from debtors and the amount (exceeding (a) two months basic pay, where applicable. (b) Rupees one lakh in other cases)	Name of Debtor					
(vii)	Motor Vehicles/Aircrafts/ Yachts/Ships (Details of Make, registration number etc., year of purchase and amount)	Nature of vehicle, registration no. & year of purchase					
(viii)	Jewellery, bullion and valuable thing(s) **(give details of weight)** JEWLLERY	Gold					
		Silver					
		Precious stones/ precious metals					
	*** Bullion	Gold					
		Silver					
		Precious stones/ precious metals					
(ix)	Any other assets						

Date……….. Signature…………………….

Note 1: Assets in joint name indicating the extent of joint ownership will also have to be given.

Note 2 : In case of deposits/Investments, the details including Amount, date of deposit, the scheme, Name of the Bank/Institution and Branch are to be given

Note 3: Value of Bonds/Share Debentures as per current market value in Stock exchange in respect of listed companies and books values in case of unlisted firms.

Note 4: Details including amount is to be given separately in respect of each investment.

Note 5: Under (ix) details of movable assets not covered in (i) to (viii) above valuing individually over two months basic pay (where applicable), or Rs. 1.00 lakh may be indicated.

FORM NO. III

Statement of immovable property on first appointment or as on the 31st March, 20….
(e.g. Lands, House, Shops, Other Buildings, etc.)

[Held by Public Servant, his/her spouse and dependent children]

Sl. No.	Description of property (Land/ House/ Flat/ Shop/ Industrial etc.)	Precise location (Name of District, Division Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number, etc.)	Area of land (in case of land and buildings)	Nature of land in case of landed property	Extent of interest	If not in name of public servant, state in whose name held and his/her relationship, if any to the public servant	Date of acquisition	How acquired (whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) and name with details of person/persons from whom acquired (address and connection of the Government servant, if any, with the person/ persons concerned) (Please see Note 1 below) and cost of acquisition.	Present value of the property (If exact value not known, approx value may be indicated)	Total annual income from the property	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Date…………………….. Signature…………………

Note (1): For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this Column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.

FORM No. IV

Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20…..

Sl. No.	Debtor (Self/ Spouse or dependent children)	Amount	Name and address of Creditor	Date of incurring Liability	Details of Transaction	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Date ……………… Signature……………………….

Note 1: Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs. 1.00 lakh in other cases need not be included.

Note 2: The statement should also include various loans and advances (exceeding the value in Note 1) available from the employer like advance for purchase of conveyance, house building advance, etc. (other than advances of pay and traveling allowance), advance from the GP Fund and loans on Life Insurance Policies and fixed deposits.

[F. No. 407/12/2014-AVD-IV(B)]

P.K. DAS, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.